संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

''कचनार'' ई–5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी,हबीबगंज पुलिस थाना के पास,भोपाल–462016
E-Mail : mptownplan@mp.gov.in

क्रमांक / 4972 / विदिशा वि.यो. 496 / नग्रानि / 2020 भोपाल, दिनांक 20/11 / 2020

विदिशा विकास योजना, 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि विदिशा विकास योजना में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया हैं। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : –

1. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल
2. कलेक्टर, जिला विदिशा
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय विदिशा, म.प्र.
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, विदिशा

अनुसूची

	क्रं	विकास योजना में निर्दिष्ट प्रावधान	उपांतरण पश्चात् प्रावधान
1	1	अध्याय–3 **3.10 बायपास मार्गो पर नियंत्रण** "इन मार्गो के दोनों ओर 75–75 मीटर भूमि छोड़कर 200 मीटर गहराई तक निम्न गतिविधियां प्रस्तावित की जा सकती हैं"	अध्याय–3 **3.10 बायपास मार्गों पर नियंत्रण**– इस बायपास के दोनों ओर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियंत्रित क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग से अनापत्ति पश्चात् तथा इसके पश्चात् मार्ग के दोनों तरफ 200–200 मीटर गहराई तक कृषि भूमि उपयोग में निम्नलिखित गतिविधियां स्वीकार्य होंगी। अन्य गतिविधियां विदिशा विकास योजना में प्रदर्शित भूमि उपयोग के अनुरूप मान्य होंगी। बायपास का रेखांकन स्थल पर निर्मित मार्ग अथवा खसरा अक्स (जो भी मार्ग से दूर हो) के अनुसार मान्य किया जा सकेगा।

2 **4.7 आवासीय अभिन्यास विकास के नियमन**

4.7.1 ले–आउट में खुले क्षेत्र, ऐमिनिटी एवं वाणिज्यिक नियमन निम्नानुसार होंगे–

विदिशा : ले–आउट में खुले क्षेत्र,ऐमिनिटी एवं वाणिज्यिक नियमन

4–सा–3

कमांक	ले–आउट का न्यूनतम क्षेत्र (हेक्टेयर में)	न्यूनतम खुला क्षेत्र (प्रतिशत)	एमेनिटी के लिये न्यूनतम क्षेत्र यथा शैक्षणिक स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाएं (प्रतिशत)	स्थानीय सुविधाजनक दुकानें (प्रतिशत)	अधिकतम आवासीय भूखण्डीय क्षेत्र (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6
1	4.0 हेक्टेयर या अधिक	10	8.0	2.0	50
2	3 हेक्टेयर से 3.99	12	6.5	1.5	50
3	2.0 हेक्टेयर से 2.99	13	6.0	1.0	50

टीपः– आवास एवं पर्यावास नीति, 2007 में समय–समय पर किये गये संशोधन मान्य होंगे।

विलोपित

3 4.20 बायपास मार्ग

"इस बायपास के दोनों ओर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा निर्धारित नियंत्रित क्षेत्र को छोड़ते हुए इसके पश्चात् मार्ग के दोनों तरफ 200–200 मीटर तक निम्नलिखित गतिविधियां स्वीकार्य होंगी"–

4.20 बायपास मार्ग

इस बायपास के दोनों ओर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियंत्रित क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग से अनापत्ति पश्चात् तथा इसके पश्चात् मार्ग के दोनों तरफ 200–200 मीटर गहराई तक कृषि भूमि उपयोग में निम्नलिखित गतिविधियां स्वीकार्य होंगी। अन्य गतिविधियां विदिशा विकास योजना में प्रदर्शित भूमि उपयोग के अनुरूप मान्य होंगी। बायपास का रेखांकन स्थल पर निर्मित मार्ग अथवा खसरा अक्स (जो भी मार्ग से दूर हो) के अनुसार मान्य किया जा सकेगा।

2 सारणी 4 सा 18 के सरल कमांक 4 कॉलम 4 में कलाकेन्द्र के पश्चात् निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाता हैः–

सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**

3 सारणी 4 सा 18 के सरल कमांक 7 कॉलम 4 में गौशाला के पश्चात् निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाता हैः–

सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग, कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे।**

व्याख्या–

1 *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, म.प्र. शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र मे वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।

2 ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।

3 * कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17(क) के अनुसार।**

टीप :– उपरोक्त 1 एवं 2 के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी ।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में ''मध्य प्रदेश राजपत्र'' में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

(अजीत कुमार)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल